न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 195–एक/1992 विरूद्ध आदेश दिनांक 10–9–1992 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर, प्रकरण कमांक 199/1989–90/निगरानी

.....

1–मांगीलाल पिता बानसिंह राजपूत,
नि0बीजगोन तहसील टप्पा सनावद
जिला खरगोन म0प्र0

2–सीताराम पुत्र बानसिंह राजपूत
नि0सदर जिला खरगोन म0प्र0

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1–छतरसिंह पिता भीलूसिंह राजपूत,
निवासी ग्राम लोंदी, तहसील बडवाह,
जिला खरगोन

2–फूलबाई विधवा भीलूसिंह,
नि0 सदर

3–सीयाराम पिता सायना

4–रेवाराम पिता सायना

5–भीमसिंह पिता भीलूसिंह

6–पीतू पिता कस्तूसिंह

7–दौलतसिंह पिता प्यारा

8–नत्थू पिता मस्तु

9–दुल्या पिता शीला

10–बापूसिंह पिता मदनसिंह
निवासीगण लोंदी तहसील टप्पा सनावद
जिला खरगोन म0प्र0

श्री आर0डी0शर्मा, अभिभाषक–आवेदकगण

..... अनावेदकगण

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 9/11/16 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–9–1992 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि आवेदकगण द्वारा संहिता की धारा 131 के तहत एक आवेदन पत्र नायब तहसीलदार सनावद के समक्ष अनावेदक कमांक 1 व 2 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया । नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 5/अ–13/1985–86 पर दर्ज कर दिनांक 21–4–1986 को आवेदकगण की अनुपस्थिति में आवेदन पत्र निरस्त किया गया । आवेदकगण द्वारा उक्त प्रकरण पुनः नम्बर पर लिये जाने हेतु दिनांक 8–5–1986 को आवेदन पत्र पेश किया गया, जो स्वीकार किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनावेदक कमांक 1 व 2 द्वारा अपर कलेक्टर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई, जो अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 28–8–1990 को निरस्त की गई । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध निगरानी अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 10–9–1992 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय व अपर कलेक्टर के आदेश निरस्त किये जाकर निगरानी स्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबंधों के विपरीत है । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा समवर्ती निष्कर्षो में आयुक्त न्यायालय को हस्तक्षेप करने की अधिकारिता नहीं होने से आयुक्त का आदेश निरस्त किये जाने जाने योग्य है । संहिता की धारा 35(3) के अधीन प्रयोग की जाने वाली शक्तियों की प्रकृति वैकल्पिक है, इसलिये संहिता की धारा 35(3) के अधीन शपथपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है । तहसील न्यायालय द्वारा पुर्नस्थापन का आवेदन पत्र स्वीकार करने में न्यायसंगत कार्यवाही की गई है, जिसे निरस्त करने में अपर

आयुक्त द्वारा निरस्त करने में अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है । अतः अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार की जाये ।

4/ अनावेदकगण के प्रकरण में सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के दौरान उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा उनके समक्ष प्रचलित प्रकरण में दिनांक 21–4–1986 को आवेदकगण की अनुपस्थित रहने के कारण प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त किया गया है और आवेदकगण की ओर से पुनर्स्थापन आवेदन पत्र प्रसतुत करने पर पुनर्स्थापन आवेदन पत्र स्वीकार किया गया है जिसकी अपर कलेक्टर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत होने पर निगरानी निरस्त हुई है । अपर आयुक्त के समक्ष निगरानी प्रस्तुत होने पर निगरानी स्वीकार की गई है । अपर आयुक्त द्वारा अपर कलेक्टर एवं तहसीलदार के आदेश निरस्त किये जाने से तहसीलदार द्वारा प्रकरण को पुनर्स्थापित करने संबंधी आदेश निरस्त हो गये हैं अर्थात् अपर आयुक्त के आदेश से तहसीलदार के समक्ष प्रचलित प्रकरण का तकनीकी दृष्टि से निराकरण हो गया है जो कि वैधानिक एवं न्यायिक दृष्टि से उचित कार्यवाही नहीं है । वैसे भी प्राकृतिक एवं न्यायिक सिद्धांत के अनुरूप पक्षकार को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाकर गुणदोष पर निराकरण करना चाहिये जिसे पक्षकार को वास्तविक न्याय हो सके । इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार को गुणदोष पर निराकरण करने हेतु प्रत्यावर्तित किया जाये ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–9–1992 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण करने हेतु तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर